220/2024 मैसर्स शिव मनोरमा बनाम गणेश

13/12/24 पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 [illegible] अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है [illegible] पत्रावली [illegible] दिनांक 20/12/24 को पेश हो।

20/12/24 पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है [illegible] पत्रावली [illegible] दिनांक 3/1/25 को पेश हो।

3/1/25 पत्रावली पेश हुई [illegible] बहस [illegible] पत्रावली का [illegible] दस्तावेजात का अवलोकन [illegible] वादी का वाद [illegible] किया जाता है [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Read
3/1/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर

वाद पत्र संख्या 220/2024

मैसर्स शिव मनोरमा डवलपर्स प्रा0 लि0 जरिये निदेशक मुकेश यादव पुत्र श्री गोपाल लाल यादव कार्यालय 158 महावीर नगर बी, गोल्यावास, मानसरोवर जयपुर

वादी

बनाम

1 गणेशनारायण पुत्र श्री लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण

2 रामकरण पुत्र श्री लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण

3 रामदयाल पुत्र श्री लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण

4 हनुमान सहाय पुत्र श्री लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण

समस्त जाति जाट निवासी लीलो की ढाणी, मोहनपुरा, मुहाना रोड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188</u>

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

मान्यवर,

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है कि

1 यह कि वादी फर्म की निजि खातेदारी की भूमि खसरा न0 32 रकबा 0.16 है0, खसरा न0 33 रकबा 0.12 है0, खसरा न0 34 रकबा 0.08 है0, खसरा न0 44 / 993 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.46 है0 सम्पूर्ण व हाल खसरा न0 31 रकबा 0.43 है0 मे से हिस्सा 0.41 है0, खसरा न0 35 रकबा 1.65 है0 मे से रकबा 1.12 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 है0 वाके ग्राम बालावाला पटवार हल्का लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है जिसको वादी ने फार्म हाउस

For Shiv Manorama Developers Pvt. Ltd.

Director

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :220/2024
निर्णय दिनांक : 03.01.2025

1. मैसर्स शिव मनोरमा डवलपर्स प्रा० लि० जरिये निदेशक मुकेश यादव पुत्र श्री गोपाल लाल यादव कार्यालय 158 महावीर नगर बी, गोल्यावास, मानसरोवर जयपुर

वादीगण

वनाम

1. गणेशनारायण पुत्र श्री लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण
2. रामकरण पुत्र श्री लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण
3. रामदयाल पुत्र श्री लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण
4. हनुमान सहाय पुत्र श्री लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण
समस्त जाति जाट निवासी लीलो की ढाणी, मोहनपुरा, मुहाना रोड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक: 03.01.2025

वादीगण की ओर से पेश वाद पत्र का विवरण इस प्रकार है कि वादी फर्म की निजि खातेदारी की भूमि खसरा न० 32 रकबा 0.16 है0, खसरा न० 33 रकबा 0.12 है०, खसरा न० 34 रकवा 0.08 है०, खसरा न० 44/993 रकबा 0.10 है० कुल कितां 4 कुल रकवा 0.46 है० सम्पूर्ण व हाल खसरा न0 31 रकबा 0.43 है0 में से हिस्सा 0.41 है०, खसरा न0 35 रकवा 1.65 है० मे से रकबा 1.12 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 है० वाके ग्राम वालावाला पटवार हल्का लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है जिसको वादी ने फार्म हाउस हेतु कय किया और फार्म हाउस में परिवर्तन करवाकर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवा दिया। उक्त भूमि वादी की निजी खातेदारी की भूमि है जिसके चारों ओर मिटटी की डोल व बाउण्डरी बनी हुयी है। जिसको वादी ने फार्म हाउसो के रूप मे डवलप कर रखा है तथा अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है वादी की भूमि के पूर्व दिशा में प्रतिवादी सख्या एक लगायत चार की आराजी कृषि

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

भूमि स्थित है जो वादी की आराजी के पूर्व मे लगती हुयी भूमि पर की मेड को प्रतिवादी सख्या एक लगायत चार जेसीबी से जबरन तोडकर कब्जा करने की कोशिश करते रहते है वादी ने प्रतिवादी सख्या एक लगायत चार को कई बार मना किया और कहा कि मै मेरी भूमि का सीमाज्ञान करवा लेता हूं आप भी अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाले। परन्तु प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार सीमाज्ञान नही होने देना चाहते है तथा बिना सीमाज्ञान के ही वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। जबकि प्रतिवादी सख्या एक लगायत चार को ऐसा करने का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही है। दिनांक 27/7/2024 को प्रतिवादी सख्या एक लगायत चार जेसीबी लेकर आये और वादी की भूमि के पूर्व साईड में बनी हुयी मेड व बाउण्डरी को जबरन तोडने की कौशिश की। वादी ने प्रतिवादी सख्या एक लगायत चार को ऐसा करने से मना किया और कहा कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवा लेते इसके पश्चात आप अपनी भूमि पर निर्माण कार्य कर लेना। परन्तु प्रतिवादी सख्या एक लगायत चार नहीं माने और कहा कि हमने तो सीमाज्ञान करवा रखा है और जबरन वादी की भूमि मे तोडफोड कर कब्जा करने पर उतारू हो गये। वादी ने मौके से ही पुलिस में फोन किया तो प्रतिवादी सख्या एक लगायत चार उस समय तो चले गये परन्तु जाते जाते धमकी दी कि उक्त भूमि पर भविष्य मे कब्जा करके रहेगे। इस कारण वादी का यह वाद पत्र वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ। वादी अपनी भूमि की सुरक्षा करने का कानूनन अधिकार रखते है। अगर प्रतिवादी सख्या एक लगायत चार वादी की भूमि के पूर्वी साईड पर गैर कानूनी रूप से काबिज हो जाते है तो वादी अपने हक हकुको की भूमि से महरूम हो जायेगा। साथ ही वादी की उक्त आराजीयात मे प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार कोई हक व अधिकार नहीं रखते हैं। वादी प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध करवाने के अधिकारी है वादी की भूमि खसरा न0 32 रकबा 0.16 है०, खसरा न० 33 रकबा 0.12 है०, खसरा न0 34 रकबा 0.08 है०, खसरा न0 44/993 रकबा 0. 10 है० कुल किता 4 कुल रकबा 0.46 है० सम्पूर्ण व हाल खसरा न० 31 रकबा 0. 43 है० मे से हिस्सा 0.41 है०, खसरा न० 35 रकबा 1.65 है0 में से रकबा 1.12 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 है० वाके ग्राम बालावाला पटवार हल्का लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर के पूर्वी साईड की भूमि पर किसी प्रकार से बिना सीमाज्ञान करवाये जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य नही करे तथा न ही वादी की भूमि पर लगी हुयी मेड व बाण्डरी की तोड–फोड करे, न ही किसी एजेन्ट सर्वेन्ट, ठेकेदार, इत्यादिं से करवाये, तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे, वादी के शान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। वाद कारण दिनांक 27/07/2024 को तब शुरू हुआ जब प्रतिवादी सख्या एक लगायत चार एक राय होकर वादी के कब्जे काश्त की भूमि के पूर्वी साईड के भाग पर मेड व बाउण्डरी को तोडने व जबरन निर्माण कार्य करवाने की धमकी देने से शुरू होकर निरन्तर जारी है। प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

सख्या पांच लैण्ड होल्डर है जिसके द्वारा सीमाज्ञान किया जाना है। इस कारण प्रतिवादी सख्या पांच आवश्यक पक्षकार बनाया है।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध फरमाया जावे कि वादी की भूमि खसरा न० 32 रकबा 0.16 है०, खसरा न० 33 रकबा 0.12 है०, खसरा न० 34 रकबा 0.08 है०, खसरा न० 44/993 रकबा 0.10 है० कुल किता 4 कुल रकबा 0.46 है० सम्पूर्ण व हाल खसरा न० 31 रकबा 0.43 है० मे से हिस्सा 0.41 है०, खसरा न० 35 रकबा 1.65 है0 में से रकबा 1.12 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 है० वाके ग्राम बालावाला पटवार हल्का लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर के पूर्वी साईड की भूमि पर किसी प्रकार से बिना सीमाज्ञान करवाये जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य नही करे तथा न ही वादी की भूमि पर लगी हुयी मेड व बाण्डरी की तोड–फोड करे, न ही किसी एजेन्ट सर्वेन्ट, ठेकेदार, इत्यादि से करवाये, तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे, वादी के शान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 4 उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 रूल 11 पेश किया।

वकील वादीगण की बहस सुनी गयी। वकील वादीगण ने अपनी बहस में दावे में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद को डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया ।

पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का आधोपान्त अवलोकन करने व वकील वादीगण की बहस पर मनन करने पर हम इस निकर्ष पहुॅचे है कि वाके वाके ग्राम बालावाला पटवार हल्का लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा न० 32 रकबा 0.16 है0, खसरा न० 33 रकबा 0.12 है०, खसरा न० 34 रकबा 0.08 है०, खसरा न० 44/993 रकबा 0.10 है० कुल कित्ता 4 कुल रकबा 0.46 है० सम्पूर्ण व हाल खसरा न0 31 रकबा 0.43 है0 में से हिस्सा 0.41 है०, खसरां न0 35 रकबा 1.65 है० मे से रकबा 1.12 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 है० राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्डेड काश्तकार खातेदार है। वादीगण सर्वप्रथम पैमाईश हेतु तहसीलदार सांगानेर के समक्ष आवेदन पेश करे।

अतः वादीगण का वाद स्थायी निषेधाज्ञा, सीमानिर्धारण अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 व स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि खसरा न० 32 रकबा 0.16 है0, खसरा न० 33 रकबा 0.12 है०, खसरा न० 34 रकबा 0.08 है०, खसरा न० 44/993 रकबा 0.10 है० कुल किता 4 कुल रकबा 0.46 है० सम्पूर्ण व हाल खसरा न0 31 रकबा 0.43 है0 में से हिस्सा 0.41 है०, खसरा न0 35 रकबा 1.65 है० मे से

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

रकबा 1.12 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 है० वाकें ग्राम बालावाला पटवार हल्का लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर की सीमानिर्धारण प्रार्थी सेटलमेन्ट से सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी नही करवा ले तब तक प्रतिवादीगण को वादी की आराजी में दखल नही देने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। मुताबिक निर्णय पंर्चा डिक्री पृथक से जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर